REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3541]	नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 26, 2017/पौष 5, 1939
No. 3541]	NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 26, 2017/PAUSA 5, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2017

का.आ. 4043(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमश: नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा ।

तालिका

 क. सं.
 नई रारा सं.
 राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण

 (1)
 (2)
 (3)

 460
 751
 गुजरात राज्य में भावनगर के निकट रारा - 51 (नारी जंक्शन) के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर भावलियारी को जोड़ने वाला और धोलेरा <u>औद्योगिक क्षेत्र के अंतिम छोर पर</u> समाप्त होने वाला राजमार्ग ।

[फा. सं. एनएच-14012/12/2016-पी एंड एम (पार्ट)]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

पाद टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र, दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 3204, दिनांकित 29.10.2017 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2017

S.O. 4043(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the column (3) of the Table below to be a national highway, as specified in the corresponding column (2) thereof.

The highways, now declared to be national highways by this notification, shall be deemed to be inserted in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the Table.

TA	BLE
----	-----

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
460	751	The highway starting from its junction with NH-51 (Nari Junction) near Bhavnagar connecting Bhavaliyari, and terminating at the end of Dholera Industrial zone in the State of Gujarat.

[F. No. NH-14012/12 /2016-P&M(pt)]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Footnote : The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted vide notification number S.O. 689(E), dated 4th April, 2011 and last amended vide notification No. 3204 dated 29.10.2017.